

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
समाज कल्याण विभाग  
नोडल अधिकारी (राजभाषा) जिला समाज कल्याण कार्यालय (मध्य)  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

फा.सं.एफ 7/राजभाषा/जि.का.(म.)/सकवि/2022-23/16268-16300 दिनांक:-

30 NOV 2022

परिपत्र

कृपया इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या फा.सं.एफ 7/राजभाषा/जि.का.(म.)/सकवि/2022-23/5594-5653 दिनांक 16/06/2022 का अवलोकन करें (प्रतिलिपी संलग्न है)। इस परिपत्र के अनुपालन में सभी कार्यालय अध्यक्ष (जिला समाज कल्याण अधिकारी)/उपनिदेशक वांक्षित सूचना दिनांक 15/12/2022 तक निर्धारित प्रारूप में अवश्य भेजने का कष्ट करें। जो-सचिव कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाना है।

सभी कार्यालय अध्यक्ष (जिला समाज कल्याण अधिकारी)/उपनिदेशक को यह भी सूचित किया जाता है कि विभागीय स्तर पर किये गये कार्य का मूल्यांकन करने हेतु आदेश संख्या फा.सं.एफ 7/राजभाषा/जि.का.(म.)/सकवि/2022-23/760-765 दिनांक 23/08/2022 को एक आदेश जारी किया है जिसके अनुपालन में आदेशानुसार अधिकाधिक राजभाषा प्रयोग के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन समिति गठित की गई जिसका विवरण निम्न है:-

क्रमांक	पद	विभागीय पदनाम
1	अध्यक्ष	विभागाध्यक्ष
2	सदस्य	उपनिदेशक, अनुसंधान प्रशिक्षण मूल्यांकन आर टी ई
3	सदस्य सचिव	नोडल अधिकारी भाषा

विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी कार्यालय से भविष्य में पत्रों/सूचना का आदान-प्रदान हेतु समस्त पत्राचार के लिए ई मेल आई डी निम्नलिखित है:-

**dsw-rajbhasha@delhi.gov.in**

उपरोक्त संबंध में विभागीय स्तर पर कार्यरत सभी कार्यालयों, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में राजभाषा मूल्यांकन समिति की अध्यक्षा माननीया निदेशक महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2022 को एक बैठक की गई जिसमें विभिन्न बिंदुओं/समस्याओं पर विचार किया गया तथा इस संबंध में माननीया अध्यक्षा द्वारा संबंधित सभी कार्यालय प्रमुखों (जिला समाज कल्याण अधिकारी) कार्यालय/समस्त उपनिदेशक कार्यालय के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। (प्रतिलिपी संलग्न है)

अतः सभी उप निदेशक अपने कार्यालय एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय व अपने अधीन सभी कार्यालयों की संकलित रिपोर्ट इस कार्यालय में 15 दिसम्बर 2022 तक प्रेषित करें ताकि समय से विभाग की संकलित रिपोर्ट कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा सके।

संलग्न:- बैठक का कार्यवृत्त एवं त्रैमासिक रिपोर्ट प्रपत्र की प्रति।

583/CC  
5/12/22  
219 स+म

21/11/2022  
(राजीव कुमार सक्सेना)

नोडल अधिकारी (राजभाषा)

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

संलग्न-उपरोक्तानुसार

समस्त उप-निदेशक (मुख्यालय), संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी,

1. उप निदेशक (आर.टी.ई.), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
2. उप निदेशक (वी.ए.सी.), समाज कल्याण विभाग, 7वाँ तल एमएसओ भवन, आई टी ओ, नई दिल्ली-02।
3. उप निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), समाज कल्याण विभाग, 7वाँ तल एमएसओ भवन, आई टी ओ, नई दिल्ली-02।
4. उप निदेशक (सम्पदा), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
5. उप निदेशक (वाद शाखा), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
6. उप निदेशक (प्रशासन-1), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
7. उप निदेशक (प्रशासन-2), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
8. उप निदेशक (आर.टी.आई.), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
9. उप निदेशक (स्कूल), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
10. उप निदेशक (देखरेख शाखा), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
11. उप निदेशक (योजना शाखा), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
12. उप निदेशक (सामाजिक प्रतिरक्षा), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
13. उप निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
14. उप निदेशक (विकलांगता), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
15. उप निदेशक (निर्गत और प्राप्त शाखा), समाज कल्याण विभाग, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
16. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, सेवा कुटीर दिल्ली-110009।
17. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरी जिला गुलाबी बाग, दिल्ली-110007।
18. जिला समाज कल्याण अधिकारी, दक्षिण जिला लाजपत नगर नई दिल्ली-110024।
19. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्वी, गीता कॉलोनी, नई दिल्ली-110031।
20. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पश्चिम जिला तिलक नगर, नई दिल्ली-110018।
21. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर पूर्व जिला दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली-110093।
22. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर पश्चिम-। जिला सेक्टर-4, रोहिणी, नई दिल्ली-110085।
23. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर पश्चिम-। जिला, नई दिल्ली-110085।
24. जिला समाज कल्याण अधिकारी, दक्षिण पश्चिम जिला, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067।
25. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मध्य जिला, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002।
26. जिला समाज कल्याण अधिकारी, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002।
27. कार्यालय अध्यक्ष पुर्नवास सेवार्ये कार्यालय समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार नई दिल्ली-110002।

फा.सं.एफ 7/राजभाषा/जि.का.(म.)/सकवि/2022-23/ 16268-16300 दिनांक:-

प्रतिलिपी सूचनार्थ-

30 NOV 2022

- 1) निजी सचिव, सचिव समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
- 2) निजी सहायक, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, 7वाँ तल एमएसओ भवन, आई टी ओ नई दिल्ली-02।
- 3) निजी सहायक, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
- 4) वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, सकवि कृपया संबंधित पत्रांक तथा संलग्न दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों की मेल आईडी पर एवं विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने की कृपा करे तथा अपने कार्यालय में हिन्दी में कार्य को प्रोत्साहित करें व रिपोर्ट प्रस्तुत करें

21/11/2022  
(राजीव कुमार सक्सेना)

नोडल अधिकारी (राजभाषा)

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

13/c

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
समाज कल्याण विभाग,  
नोडल अधिकारी (राजभाषा) द्वारा जिला समाज कल्याण कार्यालय (मध्य),  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

फा0सं0 एफ 7/राजभाषा/जि0का0(म0)/ सकवि/2022-23/5594-5653

दिनांक:

11 6 JUN 2022

परिपत्र

मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र सं0 फा0सं0 8(5)/2019/क0सं0 एवं भा0/1120-1200 दिनांक 30/05/2022 एवं कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग से प्राप्त पत्रांक 8(5)/2019/क0सं0 एवं भा0/747-797 दिनांक 18/04/2022 जो कि निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 11014/01/2020-हिन्दी निरीक्षण दिनांक 23/03/2022 व तदुपरान्त 06/04/2022 को हुए राजभाषा निरीक्षण का संदर्भ लें। इस संदर्भ में आदेश सं0 फा0 10(476)/2020/ए-1/सकवि/स्था0/5441 दिनांक 14/06/2022 को अधोहस्ताक्षरी (राजीव कुमार सक्सैना), उप-निदेशक (सम्पदा शाखा) एवं समाज कल्याण अधिकारी (मध्य जिला) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियमावली, 1976 के उपबन्धों के अनुपालन में अनुलग्नक "क" के बिन्दुओं के अनुसार संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रथम रिपोर्ट माह जून 2022 तक की प्रेषित करें, जो इस कार्यालय द्वारा जुलाई 2022 में संकलित करने के पश्चात् कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को प्रेषित की जानी है।

अतः विभाग के सभी उप-निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त प्रभारी, विभागीय विशेष विद्यालय, विभागीय गृह/संस्थान यह सुनिश्चित करें कि उक्त त्रैमासिक रिपोर्ट 07/07/2022 तक नोडल अधिकारी (राजभाषा), समाज कल्याण विभाग, मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 के समक्ष ई-मेल आई0डी0 (docendsw@gmail.com) द्वारा प्रस्तुत करें।

टिप्पणी- कृपया सभी अधिकारी अपने कार्यालय की मेल आई0डी0 से उपरोक्त परिपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त करें।

(राजीव कुमार सक्सैना)  
नोडल अधिकारी (राजभाषा)  
समाज कल्याण अधिकारी (मध्य जिला)

उप-निदेशक (सम्पदा शाखा) एवं

समाज कल्याण अधिकारी (मध्य जिला)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

समस्त उप-निदेशक (मुख्यालय), संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त प्रभारी, विभागीय विशेष विद्यालय, विभागीय गृह/संस्थान।

फा0सं0 एफ 7/राजभाषा/जि0का0(म0)/ सकवि/2022-23/5594-5653

दिनांक:

11 6 JUN 2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- 1) निजी सहायक, सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
- 2) निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
- 3) निजी सहायक, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
- 4) निजी सहायक, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02।
- 5) वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, सकवि कृपया संबंधित पत्रांक तथा संलग्न दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों की मेल आई0डी0 पर एवं विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

6) अधीक्षक (आर.टी.ई शाखा), समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट, दिल्ली -02।

(राजीव कुमार सक्सैना)

(राजीव कुमार सक्सैना)  
नोडल अधिकारी (राजभाषा)

उप-निदेशक (सम्पदा शाखा) एवं

समाज कल्याण अधिकारी (मध्य जिला)

0/c - *[Signature]*  
18/06/22

## समय बद्ध

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

समाज कल्याण विभाग

नोडल अधिकारी (राजभाषा) द्वारा जिला समाज कल्याण कार्यालय (मध्य)

मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

फा.सं.एफ 7/राजभाषा/जि.का.(म.)/सकवि/2022-23/05-08

दिनांक:- 21/11/2022

### बैठक का कार्यवृत्त

माननीया निदेशक समाज कल्याण राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज दिनांक 17/11/2022 को विभाग में हिन्दी में किये गये कार्य की समीक्षा की गई जिसमें नोडल अधिकारी (राजभाषा) के अतिरिक्त उपनिदेशक (अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन) ने भाग लिया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा माननीया निदेशक द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये गये:-

1) विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी, सभी उपनिदेशक तथा सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालयों एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग की समीक्षा करेंगे तथा कमियों को दूर करने हेतु निर्देश जारी करेंगे।

2) सभी संबंधित कार्यालय प्रमुख व उपनिदेशक त्रैमासिक रिपोर्ट समय पर ठीक प्रकार से निर्धारित प्रारूप में भरकर उपलब्ध करायेंगे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों की रिपोर्ट संकलित कर समय पर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ताकि नोडल अधिकारी त्रैमासिक रिपोर्ट सचिव महोदय/ महोदया कला एवं संस्कृति विभाग दिल्ली सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकें।

3) सभी कार्यालय प्रमुख राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग हेतु अपने कार्यालयों में निम्नलिखित कदम उठायेंगे व सुनिश्चित करेंगे कि:-

(क) कार्यालयों में प्रयोग होने वाली सभी प्रकार की स्टाम्प, प्रपत्र आदि द्विभाषी बनवायेंगे।

(ख) कार्यालय में आम जनता की सुविधा के लिए सभी नाम-पट्टिका, सूचना-पट आदि द्विभाषी बनवायेंगे।

(ग) हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देंगे।

(घ) अपने स्तर पर ऐसे प्रयास करेंगे जो राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय (मध्य) से मृत्यु होने की सूचना मिलने पर बैंकों को पत्र हिन्दी में लिखा जाता है जिसका प्रारूप संलग्न है।

(ङ) कार्यालय प्रमुख ऐसे सभी प्रयासों को नोडल अधिकारी को त्रैमासिक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित करेंगे एवं निर्धारित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न है।

(च) भारत सरकार/ राज्य सरकार स्तर पर राजभाषा अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहन उपबंधों की जानकारी देंगे।

(छ) विशेष अधिकारी (अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन) हिन्दी भाषा के अधिक व सुचारु प्रयोग हेतु कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव करेंगे ताकि हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक, अधिकारी/ कर्मचारी करें तथा सभी संबंधित परेशानियों का हल हो सके।

81  
(ज) संबंधित राजभाषा प्रारूप को भरने में आ रही परेशानियों का निदान करना तथा राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 आदि की जानकारी देगे। जैसे त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रारूप, उसमें भरी जाने वाली सूचना आदि।

सभी कार्यालय अध्यक्षों को माननीय निदेशक महोदय के आदेशानुसार उपरोक्त सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत अगली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट 15 दिसम्बर 2022 तक नोडल अधिकारी (राजभाषा) को भेजने का निर्देश दिया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।



(राजीव कुमार सक्सैना)

नोडल अधिकारी (राजभाषा)

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

फा.सं.एफ 7/राजभाषा/जि.का.(म.)/सकवि/2022-23/05-08

दिनांक:- 21/11/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ-

- 1) विशेष अधिकारी (अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन), सातवीं मंजिल, एमएसओ परिसर, आईटीओ, दिल्ली-110002।
- 2) नोडल अधिकारी राजभाषा, समाज कल्याण विभाग, पोटा केबिन, जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110002।
- 3) निजी सचिव, ~~निदेशक~~ <sup>सचिव</sup> समाज कल्याण विभाग, सातवीं मंजिल, एमएसओ भवन, आई टी ओ नई दिल्ली-02।
- 4) निजी सहायक, निदेशक समाज कल्याण विभाग, सातवीं मंजिल, एमएसओ भवन, आई टी ओ नई दिल्ली-02।



(राजीव कुमार सक्सैना)

नोडल अधिकारी (राजभाषा)

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

अनुलग्नक 'क'

राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियमावली, 1976 के उपबन्धों के अनुपालन संबंधित प्रगति रिपोर्ट

1 (क) क्या कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है? तिथि भी दें.

(ख) क्या नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं? यदि हां, आदेश की प्रति संलग्न करें.

2

कार्मिकों का विवरण	अधिकारी/कार्यपालक	कर्मचारी/गैर-कार्यपालक	कुल
क. कर्मचारियों की कुल संख्या			
ख. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त			
ग. हिन्दी में केवल कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले			
घ. हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं			
ड. जिन्हें अभी हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना है.			
च. हिन्दी में काम करने वालों की संख्या			

3. क्या कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता

में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

गठित है?

क. पिछले एक वर्ष के दौरान

आयोजित उक्त समिति की

बैठकों की कुल संख्या (कृपया तिथि दें)

ख. क्या राजभाषा विभाग द्वारा

जारी वार्षिक कार्यक्रम में

निर्धारित लक्ष्यों और

राजभाषा अधिनियम/नियमों

के कार्यान्वयन की राजभाषा

कार्यान्वयन समिति की बैठकों

में समीक्षा की गई?

ग. क्या नगर राजभाषा

कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों

में कार्यालय प्रमुख द्वारा भाग लिया  
जाता है? पिछली दो बैठकों की स्थिति बताएं।

4.

कार्यालय द्वारा नियम 11के अनुपालन की स्थिति	कुल	द्विभाषी	अंग्रेजी में	हिन्दी में
1. कोड, मैनुअल				
2. प्रक्रिया साहित्य				
3. मानक फार्म				
4. नामपट्ट साइनबोर्ड				

5.

राजभाषा अधिनियम1963 की धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति (पिछली तिमाही के आंकड़े बताएं)				
1. सामान्य आदेश				
2. परिपत्र				
3. संकल्प				
4. नियम				
5. ज्ञापन				
6. अधिसूचनाएं				
7. प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन				
8. प्रेस विज्ञप्तियां				
9. संविदाएं				
10. करार				
11. अनुज्ञप्तियां				
12. अनुज्ञापत्र				
13. निविदा सूचनाएं तथा निविदा प्रारूप				
14. पालिसी दस्तावेज				